



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता  
एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल



क्रमांक प्रका./2017/283

भोपाल, दिनांक : 18.08.2017

### शोध प्रस्ताव आमंत्रण

विश्वविद्यालय में “भाषा विज्ञान अध्ययन विभाग” भाषा एवं भारतीय भाषाओं के बीच अन्तः संवाद सहित विभिन्न पहलुओं और “संस्कृति अध्ययन विभाग” के अंतर्गत संस्कृति के विभिन्न आयामों पर शोध कार्य करने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित हैं। शोध कार्य में रुचि को प्रमाणित करना आवश्यक है। किसी भी विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त विद्वान आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ विद्वानों की एक समिति शोध प्रस्तावों का परीक्षण कर निर्णय करेगी। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.mcu.ac.in](http://www.mcu.ac.in) एवं [www.mcnujc.ac.in](http://www.mcnujc.ac.in) से प्राप्त की जा सकती है। शोध प्रस्ताव केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 31.08.2017 तक ही स्वीकार्य होंगे जो “कुल सचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, भोपाल-462011 (म.प्र.)” को संबोधित हों।

म.प्र. माध्यम/86593/2017

कुलसचिव

## शोध अध्येतावृत्ति (फैलोशिप)के लिए मार्गदर्शी बिंदू

1. शोध अध्येतावृत्ति के लिए निम्न प्रारूप में शोध प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए -
  - 1) विषय/शीर्षक
  - 2) विषय की व्याख्या - शोध क्या और क्यों?
  - 3) विषय के वर्तमान ज्ञान की अवधारणा एवं स्थिति
  - 4) उद्देश्य
    - (क) बड़ा उद्देश्य
    - (ख) उप उद्देश्य (क्रमशः)
  - 5) शोध प्रविधि
  - 6) समय सारणी
  - 7) शोध अध्येता का अपेक्षित मानदेय
  - 8) शोध का बजट
2. किसी भी विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त विद्वान आवेदन कर सकते हैं।
3. प्राप्त शोध प्रस्तावों का परीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा गठित वरिष्ठ विद्वानों की समिति करेगी।
4. उक्त समिति द्वारा अनुशंसित शोध प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जाएगा।
5. स्वीकृत शोध कार्य के लिए विभिन्न मदों पर व्यय होने वाली राशि, अध्येता को दिया जाने वाला मानदेय, शोध की अवधि एवं अन्य नियम/शर्तों का निर्धारण भी उक्त समिति करेगी।
6. आवश्यकता होने पर शोध निदेशक की अनुशंसा पर कुलपति व्यय की अनुमती, अधिक राशि का अनुमोदन या नए मद में आबंटन कर सकते हैं।
7. विश्वविद्यालय/समिति द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्य करने की सहमति प्रदान करने पर ही शोध कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अध्येता को विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
8. शोध कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभाग एवं शोध निदेशक के मार्गदर्शन में संपन्न करना होगा।
9. शोध अध्येता दावारा शोध कार्य का मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर ही शोध कार्य करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा किया जाए।

11. शोध कार्य के लिए निर्धारित समय सीमा में वृद्धि नहीं की जायेगी तथा शोध कार्य की प्रगति संतोषजनक न होने पर अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) बीच में समाप्त की जा सकेगी।
12. मानदेय का भुगतान शोध निदेशक की अनुशंसा के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
13. शोध कार्य पर विश्वविद्यालय का कॉपीराइट होगा।
14. शोध कार्य/अध्येतावृत्ति के संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
15. शोध प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ "कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38 विकास भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, भोपाल-462011 (म.प्र)" को स्पीड पोस्ट से दिनांक 31.08.2017 तक प्राप्त हो जाने चाहिए।